न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 578/2016

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. गुणाराम पुत्र दीपाराम जाति–सिरवी,निवासी–बेरा समदड़ा ग्राम–पृथ्वीपुरा, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज0)		1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.16/12/2016**

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 26/09/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 44–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 128 रकबा 1–11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 67 रकबा 3–04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 68 रकबा 50–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 130 रकबा 33–01 बीघा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50–11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 138 रकबा 67–19 बीघा किस्म चाही प्रथम की भूमि आई हुई हैं। जिसमें वादी बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। वादी के पिता दीपाराम का देहान्त होने पर जरिये म्यूटेशन के उक्त भूमि वादी स्वयं व उसके बड़े भाई नैनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी। जिसकी नकल चालू जमाबन्दी इस वाद–पत्र के साथ पेश की हैं। उक्त भूमि को आगे वाद–पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। वादग्रस्त भूमि के काबिज होकर खातेदार काश्तकार वादी के पिता दीपाराम जिनका स्वर्गवास होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण तत्कालीन हल्का पटवारी–गरनिया द्वारा भरा गया था, जिसमें वादी के घर के बोलते नाम गणेशराम के नाम की प्रविष्टियां कर दी गई थी। जबकि वादी का वास्तविक नाम गुणाराम हैं। इसके बाबत विद्यालय रेकर्ड, राशनकार्ड, चुनाव परिचय–पत्र, आधार कार्ड आदि की प्रतियाँ भी इस वाद–पत्र के साथ पेश की हैं। वादी के सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम हैं। जबकि नामान्तरकरण पटवार हल्का–गरनिया के जरिये वादी के नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम का नाम दर्ज हो गया हैं। उसी माफिक राजस्व रेकर्ड में चालू जमाबन्दी में नाम दर्ज हैं। उक्त नाम होने की वजह से वादी को भारी परेशानी हो रही हैं। वादी अपना किसान साख पत्र भी नहीं बनवा पा रहे हैं एवं अन्य सभी जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। वादी ने उक्त कनामों की दुरूस्ती कराने हेतु हल्का पटवारी गरनिया व तहसीलदार से भी कई बार निवेदन किया। लेकिन उन्होने ऐसी दुरूस्त कराने से मना कर दिया एवं न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु दिनांक 05/12/2016 को कथन किया हैं। तब इन परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद–पत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश हैं। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिनके विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं। इस प्रकरण में हल्का पटवारी ने दिनांक 05/12/2016 को रेकर्ड दुरूस्ती करने से ईन्कार करने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिस पर वादी का यह

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वाद–पत्र अतिशीघ्र पेश करना आवश्यक हो गया हैं। वादी का वाद–पत्र भी आवश्यक प्रकृति का हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद–पत्र अनुमति लेकर के प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। बिनायवाद दिनांक 05/12/2016 को हल्का पटवारी गरनिया द्वारा रेकर्ड दुरूस्ती कराने का कहने पर वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की व इस बाबत् न्यायालय में वाद पेश करने का कहने पर बमुकाम–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में पैदा हुआ हैं, जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

इस प्रकार वाद–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने तथा वादी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज गणेशराम पुत्र दीपाराम के स्थान पर वास्तविक नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी जबाबदावा एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र–गरनिया में मजमा–ए–आम में फर्द मौका रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य का शपथ–पत्र पेश किया, जिसमें वादी ने अपना सही नाम गुणाराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड संख्या 009039400238, आधार कार्ड संख्या 476063761489, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान–पत्र संख्या RJ/21/159/042268 की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादी का सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से गणेशराम पुत्र दीपाराम दर्ज नाम के स्थान पर गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का–गरनिया, तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 44–08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 128 रकबा 1–11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 67 रकबा 3–04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 68 रकबा 50–05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 130 रकबा 33–01 बीघा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50–11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 138 रकबा 67–19 बीघा किस्म चाही प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम / गणेश पुत्र दीपा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/09/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री जे.पी. बैरव, आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. गुणाराम पुत्र दीपाराम
   जाति-सिरवी,निवासी-बेरा समदड़ा
   ग्राम-पृथ्वीपुरा, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 578/2016

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पृथ्वीपुरा, पटवार हल्का-गरनिया, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 44-08 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 128 रकबा 1-11 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 67 रकबा 3-04 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 68 रकबा 50-05 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 130 रकबा 33-01 बीघा, खसरा नम्बर 66 रकबा 50-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 138 रकबा 67-19 बीघा किस्म चाही प्रथम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम गणेशराम पुत्र दीपाराम / गणेश पुत्र दीपा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गुणाराम पुत्र दीपाराम दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 26/09/2017 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	05	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner